न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	20.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री बिरदी चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ ट्रेडर्स पंचायत समिति के पास मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 158 इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
2– श्री मोहित बियानी पुत्र श्री प्रकाश बियानी नॉमिनी मैसर्स पूषाण ट्रेडलाईन प्रा0लि0 55 ए लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर जयपुर फैक्ट्री पता–ए–12 सुदर्शनपुरा इण्ड,एरिया एक्सटेंशन 22 गोदाम जयपुर निवासी 248–एबी निर्माण नगर जयपुर राज0
3– मैसर्स पूषाण ट्रेडलाईन प्रा0लि0 55 ए लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर जयपुर फैक्ट्री पता–ए–12 सुदर्शनपुरा इण्ड,एरिया एक्सटेंशन 22 गोदाम जयपुर
4–श्री चन्दन गोविन्द नाईक नॉमिनी मैसर्स आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूट्ड प्रा0लि0 621,622,624 / 1,624 / 2,759 / 2 कोलविहरे तालुका पुरन्दर पुणे निवासी सर्वे नं0 162 / 2 डी, लेन–06 प्लॉट नं. 4,भारत गैस के पास टिगरे नगर पुणे महाराष्ट्र
5– मैसर्स आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूट्ड प्रा0लि0 621,622,624 / 1,624 / 2,759 / 2 कोलविहरे तालुका पुरन्दर पुणे महाराष्ट्र

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 20.01.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:39 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.12.2020 को समय 1.55 पी.[illegible] निरीक्षण [illegible] श्री शान्तिनाथ ट्रेडर्स पंचायत समिति के पास मालपुरा जिला [illegible] की हैसियत [illegible] पारस कुमार जैन पुत्र श्री बिरदी चन्द [illegible] श्री शान्तिनाथ ट्रेडर्स

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

समिति के पास मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 158 इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री पासर कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पासर कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के गत्ते के कार्टून मे 90–90 ग्राम के 20 नग मूल पैक **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand)** रखे हुये मे से 90–90 ग्राम के 12 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री पासर कुमार जैन को रू0 180/–अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand)** खरीदशुद्दा 90–90 ग्राम के 12 नग मूल को ज्यो का त्यो बराबर–बराबर 3–3 नग को चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाई बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2733 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2733 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. पारस कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते [illegible] श्री पारस कुमार जैन ने मौके पर **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand)** का बतौर वारंटी बिल मैसर्स पूषाण ट्रेडलाईन प्रा0लि0 55 ए लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर जयपुर का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वाईस नं0 2260/दिनांक 22.09.2020 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स पूषाण ट्रेडलाईन प्रा0लि0 55 ए लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर जयपुर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूट्ड प्रा0लि0 621,622,624 / 1,624 / 2,759 / 2 कोलविहरे तालुका पुरन्दर पुणे महाराष्ट्र का खरीद / वारन्टी बिल संख्या / इन्वॉइस नं0 एस डीआई / 202101285 दिनांक 13.09.2020 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूट्ड प्रा0लि0 621,622,624 / 1,624 / 2,759 / 2 कोलविहरे तालुका पुरन्दर पुणे महाराष्ट्र से पत्राचार करने पर उनके द्वारा फर्म का नॉमिनी श्री चन्दन गोविन्द नाईक को होना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 90 दिनांक 09.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 2458 / एक्ट / 2020 / 2337 दिनांक 29.12.2020 अनुसार पारस कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड** (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा** **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड** (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **टॉमेटो केचअप सुरभि क्लासिक ब्राण्ड** (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, [illegible] भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन [illegible] अप्रार्थी के पास से लिया गया **टॉमेटो केचअप सुरभि** [illegible] (Tomato Ketchup Surbhi Classic Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री बिरदी चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ ट्रेडर्स पंचायत समिति के पास मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 158 इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री मोहित बियानी पुत्र श्री प्रकाश बियानी नॉमिनी मैसर्स पूषाण ट्रेडलाईन प्रा0लि0 55 ए लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर जयपुर फैक्ट्री पता–ए–12 सुदर्शनपुरा इण्ड,एरिया एक्सटेंशन 22 गोदाम जयपुर निवासी 248–एबी निर्माण नगर जयपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री चन्दन गोविन्द नाईक नॉमिनी मैसर्स आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूट्ड प्रा0लि0 621,622,624 / 1,624 / 2,759 / 2 कोलविहरे तालुका पुरन्दर पुणे निवासी सर्वे नं0 162 / 2 डी, लेन–06 प्लॉट नं. 4,भारत गैस के पास टिगरे नगर पुणे महाराष्ट्र पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

20-1-2022

(मुरारी लाल शर्मा) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:39 IST
Reason: SelfAttested